संख्या- 364/एक-11-2021-11(जी)/2017

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बस्ती, आजमगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, गोण्डा, मुरादाबाद, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, चित्रकूट एवं लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक: मई, 2021**

विषयः- जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों की सेवा अवधि का विस्तार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के मध्य हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 दिनांक 28.07.2017 के क्रम में केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से प्रथमतः 19 जनपदों में 01-01 आपदा विशेषज्ञ को रू0 40,000/- के नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिये रखे गये थे। केन्द्र सरकार की उक्त परियोजना की समाप्ति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों का सेवा विस्तार 03 बार, वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिये किया गया।

2. उपरोक्तानुसार जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों की सेवा अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में आपदा प्रबन्धन/राहत सम्बन्धी कार्यों का संचालन सुचारू रूप से कराये जाने हेतु निम्नलिखित 13 जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों की सेवा अवधि का विस्तार दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक किया जाता हैः-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आपदा विशेषज्ञ का नाम
1	बस्ती	श्री रंजीत रंजन
2	आजमगढ़	श्री चंदन कुमार
3	कुशीनगर	श्री रवि प्रताप राय
4	गाजीपुर	श्री अशोक कुमार राय
5	वाराणसी	श्री संजीव कुमार सिंह
6	बलिया	श्री पीयूष कुमार सिंह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

7	गोण्डा	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
8	मुरादाबाद	श्री पंकज कुमार मिश्रा
9	बहराइच	श्री सुनील कुमार कनौजिया
10	लखीमपुर खीरी	श्री प्रशान्त कुमार
11	गोरखपुर	श्री गौतम गुप्ता
12	चित्रकूट	श्री राहुल सिंह
13	लखनऊ	श्री अमर सिंह

3. उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों बस्ती, आजमगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, गोण्डा, मुरादाबाद, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, चित्रकूट एवं लखनऊ के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में संविदा के आधार पर कार्यरत आपदा विशेषज्ञों का मानदेय आदेश निर्गत होने की तिथि से रू0 40,000/- से बढ़ाकर रू0 50,000/- किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त आपदा विशेषज्ञों के मानदेय पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07- जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद' ' में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. उक्त आपदा विशेषज्ञों की सेवा अवधि दिनांक 31.03.2022 के पश्चात् स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-364(1)/एक-11-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ को उनके पत्र संख्या-752/रा0आ0प्र0प्रा0 /का0अनु0/2020-21, दिनांक 22.03.2021 के सन्दर्भ में।
2. मण्डलायुक्त वाराणसी, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, चित्रकूट, लखनऊ एवं मुरादाबाद।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ।
5. राजस्व अनुभाग-10 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आपदा विशेषज्ञों के मानदेय की वित्तीय स्वीकृति का आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।